जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/Prog-Comm/1372/18/1305 दिनांक 17.07.2018

कार्यालय आदेश

(स्वच्छ जीविका- स्वच्छ बिहार अभियान हेतु संचार की रणनीति)

लोहिया स्वच्छ अभियान (LSBA) के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को 02 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य है। जीविका द्वारा "स्वच्छ जीविका – स्वच्छ बिहार कार्यक्रम" व्यापक पैमाने पर 01 जुलाई-18 से 15 अगस्त-18 तक सभी 534 प्रखंडों में किया जाना है। इस 45 दिनों की अवधि में जीविका समूह से जुड़ी वैसे दीदियों के घरों में, जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है , शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण किया जाना है तथा शौचालय निर्माण एवं उसकी उपयोगिता एवं सम्पूर्ण स्वच्छता की दिशा में कार्य किया जाना है।

" **स्वच्छ जीविका- स्वच्छ बिहार**" की मुहिम के प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन के लिए संचार की निम्नलिखित गतिविधियाँ ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की जानी है :-

ग्राम स्तरीय गतिविधि

व्यापक मोबलाइजेशन कार्य

- ग्रामीण स्तर पर व्यापक मोबलाइजेशन के लिए जागरूकता रैली एवं संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है। ग्राम संगठन द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को रैली एवं संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। रैली के उपरांत स्वयं सहायता समूह सदस्यों को स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण तथा शौचालय की उपयोगिता हेतु शपथ दिलाया जायेगा।
- समूह की शौचालय युक्त/ शौचालय विहीन सदस्यों के निर्धारण के लिए हैंड बैंड का निर्माण किया जाएगा। ग्राम संगठन की पाक्षिक बैठक मे समूहवार बैंड का वितरण किया जाएगा।
- स्वयं सहायता समूह की बैठक मे सदस्यों मे से जिनके पास शौचालय है उन्हें हरा बैंड दिया जाएगा जिसे वो बैठक व रैली मे पहनेंगी। जैसे-जैसे सदस्यों का शौचालय निर्माण पूर्ण होगा वैसे ही बैठक मे शेष बचे सदस्यों को हरा बैंड वितरित किया जाएगा।
- ग्राम संगठन स्तर पर ग्राम संसाधन सेवियों/ जीविका मित्रों (CM) के द्वारा प्रत्येक सोमवार को पिको प्रोजेक्टर/टेलिविजन के माध्यम से स्वच्छता संबंधी विडियो को समुदाय के बीच दिखाया जायेगा। ग्राम संसाधन सेवियों/जीविका मित्रों (CM) को विडियो दिखाने का मानदेय प्रति विडियो 40/- रुपया दिया जायेगा एवं

उसका प्रतिवेदन सम्मिलित करने पर प्रति विडियो अतिरिक्त 10/- रुपया दिया जायेगा। ये सभी खर्च SBM-G के IEC मद से देय होंगे।

- व्यापक प्रचार के लिए प्रचार ठेला के द्वारा शौचालय निर्माण सम्बन्धी जानकारी हेतू फ्लैक्स एवं साउंड सिस्टम द्वारा स्लोगन और अन्य जानकारियों का प्रसारण किया जाना है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्वयं सहायता समूह/ ग्राम संगठन/संकुल स्तरीय संघ की बैठकों में स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर चर्चा होना अनिवार्य है। उक्त गतिविधियों का उद्देश्य सभी जीविका दीदियों को उत्प्रेरित कर उन्हें अपने घरों में शौचालय निर्माण करवाना है।

'गड्ढा खोदो'अभियान :-

- प्रथम चरण (9-14 जुलाई) मे गड्ढा खोदो अभियान के दौरान ग्राम संगठन के सभी सदस्य शौचालय निर्माण हेतु गड्ढा खोदकर श्रम दान करेंगे। इस अभियान का शुभारंभ गाँव के मुखिया/ अन्य सम्मानित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इस दौरान गाँव मे फ्लैक्स बैनर के माध्यम से इस पूरे अभियान की तिथिवार गतिविधियों की सूची प्रकाशित की जाएगी।
- प्रचार ठेला के माध्यम से गड्ढा खोदो अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है। गाँव-गाँव घूमकर प्रचार ठेला द्वारा कुल खुदे हुए गड्ढों की संख्या की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी जाएगी ताकि प्रतियोगितापूर्ण वातावरण का निर्माण हो जिससे गड्ढों की संख्या मे निरंतर वृद्धि हो सके। **(अनुलग्नक-1)**

शौचालय निर्माण तकनीक की जानकारी:-

- ग्राम स्तर पर 10 फीट x 8 फीट का दीवाल पेंटिंग किया जाएगा जिसमें शौचालय निर्माण की सही तकनीकी विवरणी तथा शौचालय की उपयोगिता को प्रदर्शित किया जायेगा। ग्राम स्तर पर दिवाल लेखन का कार्य ग्राम संगठनों द्वारा किया जायेगा। ग्राम संगठन द्वारा वैसे दीवाल एवं स्थान का चयन किया जाएगा जहाँ दीवाल लेखन किया जाना है एवं वैसे स्थानों की सूची BPIU को दी जाएगी। **(अनुलग्नक-2, 3 एवं 4)**

- इस दौरान शौचालय निर्माण तकनीक विवरणिका के वितरण का कार्य (एक विवरणिका प्रति SHG एवं एक विवरणिका प्रति CM) जीविका मित्र व स्वयं सहायता समूह के बीच में पूर्ण किया जाना है ताकि निर्धारित तकनीक के अनुसार शौचालय निर्माण हो सके। **(अनुलग्नक-5)**

स्वच्छ जीविका सम्मान समारोह :-

- इस अभियान के दौरान जो ग्राम संगठन अपने सदस्यों के घरों मे शत-प्रतिशत शौचालय की सुविधा एवं उसका उपयोग सुनिश्चित करेंगे , वैसे ग्राम सगठन को पुरस्कार स्वरूप रु 3000/- दिया जाना है। इस समारोह का आयोजन 30 जुलाई, 6 अगस्त व 13 अगस्त, 2018 को किया जाएगा । इस सम्मान समारोह को पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा जिसमे मुखिया/संकुल स्तरीय संघ के अध्यक्ष ग्राम संगठन को सम्मानित करेंगे एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैडर को जिला स्तरीय सम्मान समारोह के लिए नामित करेंगे। स्वच्छ ग्राम संगठन अपने गाँव को रंगोली एवं दीप से सुसज्जित कर इस सम्मान समारोह को स्वच्छता पर्व के रूप मे मनाया जाएगा।
- प्रखण्ड स्तर पर 10 अगस्त को प्रखण्ड मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले SHG,VO,कैडर,CC,AC को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
- जिला स्तर पर 15 अगस्त के समारोह मे जिला मे श्रेष्ठ कार्य करने वाले, BPM, विषयगत प्रबन्धक , यंग प्रॉफेश्नल ,सलाहकार इत्यादि को प्रत्येक कैटेगरी मे से एक- एक को जिला पदाधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
- राज्य स्तर पर पूरे राज्य मे श्रेष्ठ कार्य करने वाले CLF,VO,DPM को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,जीविका द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

जिला स्तरीय स्वतन्त्रता दिवस समारोह :-

प्रत्येक जिला में 15 अगस्त, 2018 के अवसर पर झांकी को प्रदर्शित किया जाएगा जिसमे 45 दिनों के स्वच्छ जीविका अभियान की यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। इस झांकी का भ्रमण जिला के विभिन्न प्रान्तों मे भी जागरूकता हेतु कराया जाएगा। इसका दस्तावेजीकरण संबन्धित जिला संचार प्रबन्धक के पर्यवेक्षण मे किया जाएगा।

<u>अन्य गतिविधियाँ:-</u>

जिला स्तरीय गतिविधि

- इस अभियान के दौरान पूर्ण शौचालय निर्माण के उपरांत प्रत्येक शौचालय के दरवाजे पर स्वच्छ जीविका का स्टेंसिल प्रिंट लगवाना अनिवार्य होगा। **(अनुलग्नक-6 स्टेंसिल प्रिंट का डिज़ाइन)**
- जिला स्तर पर व्यापक प्रचार के लिए स्वच्छता रथ का संचालन किया जाना है जो की DWSC के द्वारा किया जाएगा।
- विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापनों एवं आलेखों का प्रकाशन भी DWSC द्वारा किया जाना है।
- " स्वच्छ जीविका- स्वच्छ बिहार" की दिशा में उत्कृष्ट कार्य एवं शौचालय निर्माण एवं उपयोग से सम्बंधित 1-2 मिनट का विडियो दस्तावेजीकरण एवं सिनेमा हॉल एवं केबल टी. वी पर प्रसारण किया जाना है ।
  इन गतिविधियों का समन्वयन जिला संचार प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा निर्धारित दर (IPRD Rates) एवं ख़रीदारी नियम (बिहार वित्त नियम (BFR) /जीविका ख़रीदारी नियम (Procurement Norms), जो मान्य हो) के तहत गतिविधियों मे राशि खर्च की जाएगी ताकि किसी भी गतिविधि पर दो बार व्यय न हो।

यह संचार रणनीति व्यवहार परिवर्तन में सहायक होंगे साथ हीं सभी स्वयं सहायता समूह सदस्यों के घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कारगर सिद्ध होगी ।

अनुलग्नक- यथोपरि

(बालामुरुगन डी०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका
सह-मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

सभी प्रतिलिपि :

1. जिला परियोजना प्रबंधक/ विषयगत प्रबंधक/प्रबंधक संचार/प्रबंधक स्वास्थ्य एवं पोषण /प्रखंड परियोजना प्रबंधक
2. सभी परियोजना समन्वयक/ राज्य परियोजना प्रबंधक/राज्य वित्त प्रबंधक/ परियोजना प्रबंधक/सहायक वित्त प्रबंधक
3. विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक/मुख्य वित्त प्रबंधक /प्रशासी पदाधिकारी
4. सूचना एवं तकनीकि अनुभाग
5. सम्बंधित संचिका

जीविका
JEEViKA

लोहिया
स्वच्छ बिहार
अभियान

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

बिहार सरकार

स्वच्छ जीविका
स्वच्छ बिहार अभियान
के अंतर्गत
गड्ढा खोदो अभियान

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

शौचालय निर्माण की तकनीक

दो गड्ढों का हो शौचालय, तीन फिट की हो गहराई
दो गड्ढों के बीच की दूरी, एक मीटर हो भाई

शौचालय के साथ जुड़ी हो पानी की एक टंकी
बाहर भीतर नल लगे हो, कमी न होगी जल की

दो गड्ढों को जोड़ने वाला जंक्शन बॉक्स है कहलाता
एक गड्ढा भरे तो दूसरा गड्ढा खोल दिया है जाता

ईंट, रेत और सीमेंट से शौचालय बनवाएँ
छत हो एक मजबूत और साथ में दरवाजा लगवाएँ

तीन फीट लम्बा, चार फीट चौड़ा, छः फीट हो ऊँचाई
सही माप से बने शौचालय, यही उत्तम है भाई

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
विद्युत भवन, एनेक्सी–2, बेली रोड, पटना–21
टेली / फैक्स : +91-2504980/60
ई–मेल : info@brlp-in, वेबसाइट : www.brlp.in

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

शौचालय की उपयोगिता

खुले में शौच से उत्पन्न होती जानलेवा बीमारी
अस्पताल के चक्कर लगते, खर्चे होते भारी

शौचालय के इस्तेमाल से होते ढेरों लाभ
न कोई रोग न कोई बीमारी वातावरण भी साफ

सांप बिच्छू और जानवरों का हर पल रहता भय
अन्धियारे में अनहोनी का होना भी है तय

हो बुजुर्ग बीमार जो घर से बाहर शौच को कैसे जाएँ
सेवा उनकी करें हम ऐसे घर में ही शौचालय बनवाएँ

रात अँधेरी या तूफानी, बरसे चाहे झम झम पानी
घर में जो शौचालय हो, शौच की ना हो परेशानी

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
विद्युत भवन, एनेक्सी–2, बेली रोड, पटना–21
टेली/ फैक्स : +91-2504980/60
ई–मेल : info@brlp-in, वेबसाइट : www.brlp.in

लोहिया सवच्छ बिहार अभियान- नारा

शौचालय है शान हमारी, छू मंतर होती बीमारी ।

बाहर नहीं शौच को जाना, शौचालय घर में बनवाना ।

बाहर शौच काम है गन्दा, बंद करो मिलकर ये धंधा ।

अपनी इज्जत आप बचाओं, नहीं शौच को बाहर जाओ।

बाहर शौच है सोच पुरानी, बदल के लिख दो नई कहानी।

शौचालय तुम खुद बनवाओं, बारह हजार रुपया पाओ,
बारह हजार की मिलती राशि, फौरन खाते में आ जाती ।

स्वच्छता का रखिए ध्यान, स्वच्छता से बिहार बनेगा महान ।

स्वच्छता अपनाओं, बिहार को विकास के पथ पर लाओ ।

हम सब का एक ही नारा, साफ सुथरा हो गाँव हमारा ।

माँ बहनों को शौच के लिए बाहर नहीं है जाना।
घर की इज्जत घर में रहे , एक शौचालय घर में बनवाना।।

रात अंधेरी या तूफ़ानी, या बरसे झम-झम पानी
शौचालय घर में हो तो कभी ना होगी कोई परेशानी

नदी नाले जाना छोड़ो, शौचालय से नाता जोड़ो।

दो गड्ढे वाला सोख्ता शौचालय

निर्माण विधि

ऊँचा स्थान, जल स्रोत (चापाकल एवं कुँआ) से तीस फीट की दूरी, वृक्ष से दूर, आने जाने वाला स्थान पर नहीं, एवं घर से अधिक दूर नहीं, पर उपयोगकर्ता के लिए सुगमता।

1. स्थल चयन
2. नक्शा बनाना
3. मल गड्ढे का निर्माण
4. नींव एवं चबुतरे का निर्माण
5. सीट एवं मुर्गे (पी ट्रैप) की जोड़ाई
6. जंक्शन चैम्बर एवं निगरानी कक्ष का निर्माण
7. चैम्बर से दोनों गड्ढे को अलग अलग पाइप से जोड़ना
8. चैम्बर एवं गड्ढों को ढकना
9. कमरा, जल भंडारण एवं हाथ धुलाई इकाई का निर्माण

दिव्यांग व्यक्तियों के अनुसार शौचालय निर्माण की रणनीति

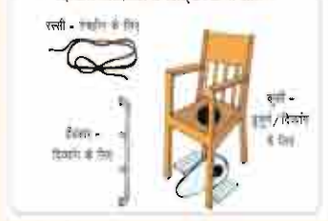

- सीधा, चौड़ा, सपाट एवं ढालनुमा शौचालय सतह का निर्माण करना।
- शौचालय का दरवाजा थोड़ा चौड़ा हो ताकि दिव्यांग व्यक्ति आसानी से शौचालय में प्रवेश करे एवं बाहर आ पाए।
- शौचालय के कमरा का व्यास 1.5 मीटर (लम्बाई एवं चौड़ाई में) हो ताकि दिव्यांग व्यक्ति के साथ उसका सहायक उनको सहयोग कर पाए साथ ही व्हील चेयर को भी आसानी से घुमाया जा सके।
- शौचालय के कमरे में लगने वाले सीट और दीवारो के बीच में दूरी 0.45 से 0.50 मीटर की होनी चाहिए।
- सुलभ शौचालय (Accessible toilet) का दरवाजा आदर्शतः बाहर की ओर खुलना चाहिए।
- शौचालय के कमरे में दिव्यांग व्यक्ति को सहारे के लिए उनके सुविधानुसार हूँक, छल्ले या अन्य उपकरण लगाया जाये।
- दृष्टी बाधित व्यक्ति के लिए शौचालय जाने हेतु एक बेरिकेड का प्रयोग किया जा सकता है जिसके सहारे वो आसानी से शौचालय तक दृष्टी बाधित व्यक्ति पहुँच सकता है।
- दिव्यांगों के प्रकार एवं उनकी आवश्यकता के अनुसार शौचालय के उपरी भाग, दरवाजा, रास्ता और अंदरूनी जगह का निर्माण किया जाना चाहिए।
- अस्थि विकलांग के लिए एक व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए।

दो सोख्ता गड्ढा वाला शौचालय सर्वोत्तम तकनीक है। विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए शौचालय बनवाना चाहिए। इसलिए खुद का शौचालय अवश्य बनवायें।

आशा देवी, सुपौल

पूर्ण शौचालय हेतु चेकलिस्ट

- क्या शौचालय में दो गड्ढे हैं ?
- क्या दोनों गड्ढों के बीच की दूरी एक मीटर है ?
- क्या गड्ढों की गहराई एक मीटर है ?
- क्या गड्ढे तीन ईंच मोटाई के ढक्कन से ढ़के हुए हैं?
- क्या पैन के साथ जलबंध लगा हुआ है?
- गड्ढा गोलाकार एवं जालीदार है?
- क्या निगरानी कक्ष बना हुआ है?
- जंक्शन चैम्बर क्या एक ओर से बंद और दुसरी ओर से खुला है?
- क्या शौचालय में हवा एवं रोशनी के लिए रोशनदान हैं?
- जंक्शन चैम्बर से गड्ढे तक पाईप लगा हुआ है?
- पाईप और गड्ढे मिट्टी से ढ़के हुए हैं?
- शौचालय का कमरा अंदर से 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है?
- शौचालय में ग्रामीण पैन लगा हुआ है?
- शौचालय का कमरा आगे से 6 फीट और पीछे से 5–5 फीट उंचा है?
- कमरे के ऊपर छत लगी हुई है?
- कमरे में दरवाजा लगा हुआ है?

जीविका

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 001
टेलीफैक्स : +91–612–2504980 / 60

जीविका

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

एक कदम स्वच्छता की ओर...

शौचालय निर्माण तकनीक विवरणिका

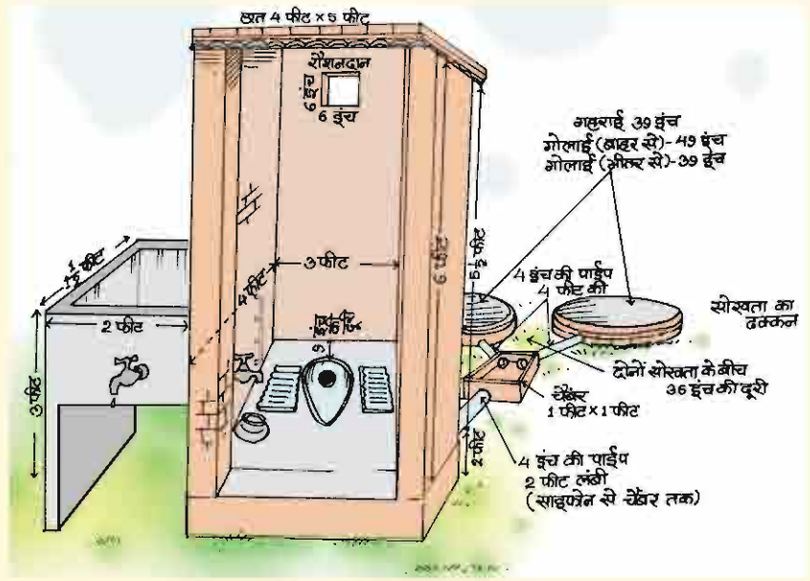

दो सोख्ता गड्ढे वाला शौचालय

एक मीटर के दो सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय मे मल,जल तथा गंध; तीनों का सुरक्षित निपटान होता है और यह वातावरण के अनुकूल होता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रमाणित तकनीक है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से शौचालय निर्माण कार्य गड्ढे से शुरू करने पर शौचालय की तकनीकी ढलान, कमरे और गड्ढे के बीच उचित दूरी का अनुमान तथा सम्पूर्ण शौचालय के लिए पर्याप्त जगह की जानकारी हो जाती है।

1. एक मीटर के दो गड्ढ़े वाले सोख्ता शौचालय

- गड्ढ़े की गहराई सिर्फ 39 इंच (1 मीटर) ही रखनी चाहिए क्योंकि मल को खाद में बदलने वाले जीवाणु सिर्फ 1 मीटर तक ही जीवित रहते है। साथ ही सूर्य की रोशनी भी एक मीटर गहराई तक जाती है जिससे मल का खाद में रूपांतरण आसानी से संभव हो पाता है।
- गड्ढे का निर्माण जालीदार (मधुमक्खी के छत्ते जैसा) किया जाता है। जिसमें क्रमश : सतह से तीसरे, पांचवे, सांतवे, नवें, ग्यारहवें रद्दे में एक से डेढ़ इंच का जाली छोड़कर ईंटो की जुड़ाई की जाती है।
- दो गड्ढों के बीच एक मीटर की दूरी रखनी चाहिए ताकि एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में पानी न जा सके। इसलिए दो गड्ढे वाला सोख्ता शौचालय भी निरंतर स्थायी उपयेाग में रहते हैं।
- कम जगह में दो गड्ढों को सटाकर अंडाकार भी बनाया जा सकता है। केवल बीच वाली दीवार की जोड़ाई बिना जाली के प्लास्टर एवं पन्ना के साथ करना चाहिए।
- वर्ष में कभी भी गड्ढे के निचले सतह से भूमिगत जल स्तर दो मीटर से कम रहता है तो जल स्रोत (चापाकल, कुँआ) से गड्ढे की उचित दूरी 10 मीटर होनी चाहिए। यदि दो मीटर से अधिक है तो जल स्रोत से गड्ढे की उचित दूरी 3 मीटर होनी चाहिए।
- जमीन के सतह से उपर दो रद्दे की जोड़ाई करे ताकि बरसात के मौसम में पानी अंदर पीट में न जाए। उसी दो रद्दे को अंदर एवं बाहर से प्लास्टर करना जरूरी है।

2. निगरानी कक्ष

- निगरानी चैम्बर अन्दर से 12 इंच लंबा, 12 इंच चौड़ा और 12 इंच गहरा होना चाहिए।
- चैम्बर के अन्दर की दीवारें चिकनी व ढालनुमा इस तरह से बनी होनी चाहिए कि उसके अन्दर मानव मल इकठ्ठा न होने पाये।
- चैम्बर का आकार वाई आकार का होना चाहिए।
- निगरानी चैम्बर को उसी साईज का ढक्कन बनाकर ढकना जरूरी है।

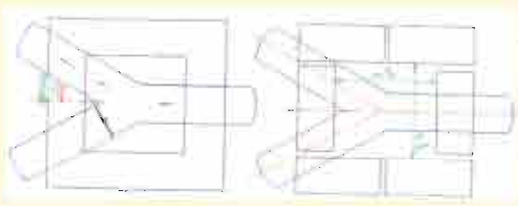

3. मुर्गा / पी ट्रैप / जलबंद –

- मुर्गा बैठाते समय स्प्रीटलेवल मीटर के द्वारा जरुर देख लेना चाहिए कि मुर्गे के अन्दर 20 एम. एम. का जलबंद (वाटर सील) बने, ताकि गड्ढ़ों से आनेवाली गैस अथवा कीड़े–मकोड़े शौचालय के कमरे में न आ सकें।
- एक बार 20 एम.एम. के जलबंद के साथ तसले / सीट की सही फिटिंग मिल जाने के बाद अब मुर्गे को सावधानीपूर्वक इसी स्थिति में चारों तरफ से ईंटों से जड़ दे।

4. ग्रामीण पैन –

- ग्रामीण पैन की ढलान शहरी पैन की अपेक्षा अधिक होता है इसलिए कम पानी में भी मल आसानी से बह जाता है।
- सीट / पैन पीछे की दीवार से नौ इंच की दूरी पर बैठाया जाता है ताकि इस्तेमाल करनेवाले को कठिनाई न हो।

5. शौचालय का सुपर स्ट्रक्चर या कमरा का निर्माण– शौचालय के कमरे की दीवार आगे से 6 फीट तथा पीछे से 5.5 फीट ऊँची होगी। दरवाजे के लिए चबूतरे से ही 2.5 फीट की जगह छोड़ दें। शौचालय के कमरे में 2.5 फीट X 5.5 फीट का दरवाजा लगेगा। कमरे में लगातार हवा और रोशनी आने के लिए पीछे की तरफ से ईंट की जाली बना दें। आगे की तरफ भी 6 फीट की जगह में 5.5 फीट का दरवाजा देने से 6 इंच का रास्ता हवा और रोशनी आने के लिए मिलेगा। जिससे शौच करने वाले को घुटन महसूस न हो। चबुतरा के बाहर 2 ईट का सामानांतर सिढ़ी बनायें, ताकि चबुतरा पर चढ़ने में सुविधा हो और धूल मिटटी अंदर न जा सके। चबुतरा का ढाल हमेशा पैन की तरफ हो। पैन पिछे से 9 ईचं जगह छोड़कर ही लगायें। पैन ट्रेप को अच्छी तरह से जाम कर लें और ढाल को पानी डालकर देख लें। कमरे का साईज अंदर से 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा होगा। दिव्यांगो हेतू शौचालय के सुपर स्ट्रक्चर में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

6. सेप्टिक शौचालय – यदि कोई परिवार सेप्टिक शौचालय ही बनवाना चाहता है तो उसे अलग से दूषित पानी का निपटान हेतु सोखता गड्ढा पानी / गंदगी निकास द्वार के पास बनवाना आवश्यक है।

नींव एवं चबुतरे का निर्माण

चबूतरे की बाहरी लम्बाई न्यूनतम 63 इंच और चौड़ाई 51 इंच रखी जाती है ताकि अन्दर में लम्बाई 48 इंच और चौड़ाई 36 इंच का बनाया जा सके।

जंक्शन चैम्बर से गड्ढे तक पाईप को जोड़ना

- पाईप की लम्बाई उपलब्ध स्थान के अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है। किन्तु सामान्य दशा में कमरे एवं गड्ढे के बीच की दूरी कम से कम 1 मीटर की होनी चाहिए।
- मल को गड्ढे तक आसानी से पहुँचने के लिए चैम्बर से गड्ढे तक 1:10 अनुपात का ढलान होना चाहिए।
- गड्ढे के अंदर 4 इंच तक पाईप, मल को सही स्थान (गड्ढे के बीच में) पर गिराने के लिए।

दो सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय, सेप्टिक टैंक शौचालय से बेहतर कैसे?

दो सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय का सोख्ता गड्ढ़ा मानव मल का सुरक्षित निपटान करता है। इस शौचालय में मल में मिश्रित पानी गड्ढ़े की दीवार में बनी जालियों से निकल कर मिट्टी में चला जाता है तथा उस मिट्टी में रहने वाले जीवाणु बचे हुए मल को उचित ताप और दाब पर मूल्यवान खाद में बदल देते हैं जिसे सोना खाद के रूप में जाना जाता है।

सेप्टिक टैंक शौचालय में एक बड़े से सीमेंट के पक्के चैम्बर में हजारों लीटर पानी में मल धुलकर काले कीचड़ के रूप में रहता है। सेप्टिक टैंक का चैम्बर भरने के बाद उसमें जमे हुए कीचड़ को टेंकर में भरकर आबादी से दूर या नदी अथवा तालाब में फेंका जाता है। गॉव में कीचड़ के निष्पादन की उचित व्यवस्था नहीं होने के अभाव में उसे खुले में ही आस–पास फेंक दिया जाता है। यह गंदगी खुले में मल त्याग करने से भी ज्यादा विषैला एवं खतरनाक होता है।

सेप्टिक टैंक की अपेक्षा सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय के फायदे

सेप्टिक टैंक	सोख्ता गड्ढे
अधिक लागत एवं रख रखाव	कम लागत एवं रख रखाव
अधिक जगह की आवश्यकता	कम जगह की आवश्यकता
अधिक पानी की आवश्यकता	कम पानी की आवश्यकता
मल का कोई परिवर्तन नहीं और अतिप्रवाह की समस्या	मल बदलकर सोना खाद में परिवर्तित होता है।
गड्ढा भरने पर खाली करना महंगा और बीमारी फैलने की संभावना	गड्ढा भरने पर खाली करना आसान और खाद के रूप में उपयोग
गैस पाइप के द्वारा बदबू निकलता है।	गैस पाइप की जरूरत नहीं (गैस मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है।

नोट : शौचालय को साफ रखने के लिए नमक एवं पानी के घोल का प्रयोग करना चाहिए। एसिड, फिनाईल, डिटर्जेन्ट, हार्पिक आदि से साफ करने से मल को खाद में बदलने वाले किटाणु नष्ट हो जाते हैं।

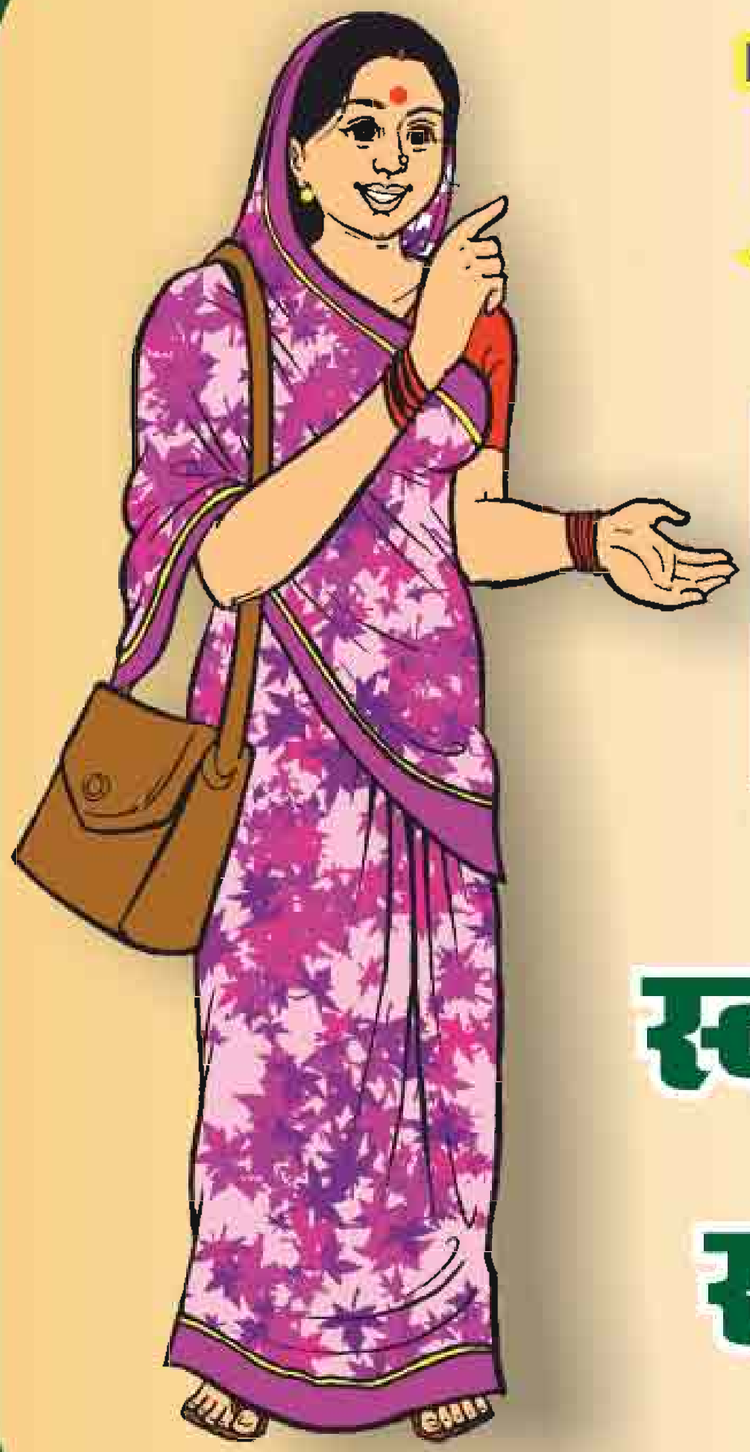

प्रतिष्ठा गृह

जीविका
JEEViKA

लोहिया
स्वच्छ बिहार
अभियान
बिना किसी भेदभाव-विभेद के, शौचालय सब के लिए

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ दीदी, स्वच्छ जीविका
स्वच्छ बिहार, स्वच्छ भारत।